

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०— 08/कृ०नि०यो०वि०—31/15—

/कृ० पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह भा० प्र० से०,  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

सभी जिला कृषि पदाधिकारी,  
सभी योजना के नोडल पदाधिकारी,

विषय : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सभी योजनाओं से लाभान्वित कृषकों को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Program के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित करने के संबंध में।

प्रसंग: अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली का पत्रांक—1—11011/58/2013/ DBT /286297 दिनांक 25.02.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेश दिया जाता है कि कृषि विभाग अन्तर्गत संचालित कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सभी योजना यथा—केन्द्रीय योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, उन्हें अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जाय।

2. जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरान्त इस Programme का लाभ प्रदान होगा।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

/कृ०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रतिलिपि:— निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

२२२९

/कृ०, पटना, दिनांक 14 मई, 2015

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को ई-मेल करने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।